झारखण्ड सरकार

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का कार्यालय पश्चिमी सिंहभूम

(जिला ई.–गवर्नेस सोसाईटी)

उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम की अध्यक्षता में दिनांक 07.06.2017 को अपराहन 2:00 बजे ई.–गवर्नेस सोसाईटी कि समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई, जिसकी उपस्थिति एवं कार्यवाही निम्नवत हैः–

उपस्थितिः– पंजी में दर्ज है।

1. **PMGDISHA:-** उपायुक्त महोदय ने PMGDISHA के जिला समन्वयक के किये गये कार्य कि समीक्षा के क्रम में पाया कि PMGDISHA का कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है जिसके कारण असंतोष व्यक्त किया गया। PMGDISHA के जिला समन्वयक के अनुसार जिले अब तक 5500 के विरूद्ध मात्र 778 का पंजीकरण किया गया। मात्र 95 लोगों को डिजीटली साक्षर किया गया। इस निष्क्रियता के कारण जिला डिजीटल साक्षरता समन्वयक कमल कान्त के विरूद्ध निदेशक सूचना प्रोद्योगिकी को शिकायत भेजने का निर्देश दिया गया है एवं उपायुक्त महोदय ने कहा कि PMGDISHA के समन्वयक कमल कान्त का Absentee जिला से भेजी जाय। उपायुक्त महोदय के द्वारा आदेश दिया गया कि 126 पंचायत भवनों में Shifted VLE को पंजीकरण कराया जाय एवं प्रत्येक सेन्टर में कम से कम 100 अभियार्थि का पंजीकरण कराकर परिक्षा दिलाया जाय। साथ में यह भी आदेश दिया गया कि जिला के सभी VLE को PMGDISHA का कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया जाय।

   (अनुपालनार्थ–कमल कन्त – **PMGDISHA, District Consultant, DeGS Nodal Officer)**

2. **प्रज्ञा केन्द्रः–** अद्योहस्ताक्षारी के द्वारा समिक्षा के क्रम में CSC Manager के द्वारा बताया गया कि वर्तमान में 126 पंचायत भवन में VLE Shifted हो चुके है। जब कि 170 पंचायत भवन पूर्ण रूप से तैयार हैं। इस क्रम में दोनो CSC Manager को निर्देश दिया कि बाकि बचे 44 प्रज्ञा केन्द्र को पूर्ण रूप से पंचायत भवनों में Shift कराना सुनिश्चित करेंगे।

   (अनुपालनार्थ– **CSC Managers)**

3. **Common Branding :-** अद्योहस्ताक्षारी के द्वारा यह निर्देश दिया गया कि जिले में कार्यरत सभी प्रज्ञा केन्दों में Common Branding का Flex Board एवं Rate Chart लगाया जाय। इसकी Monitoring CSC Manager के द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

   (अनुपालनार्थ– **CSC Managers)**

4. **PDS Dealer :-** मुख्य सचिव झारखण्ड सरकार के निदेशानुसार जिला के सभी PDS Dealer को प्रज्ञा केन्द्र संचालित करना है उक्त के आलोक में CSC Manager के द्वारा बताया गया कि इसकी प्रशिक्षण PDS Dealer को दिया जा रहा है। इस संबंध में अद्योहस्ताक्षारी के द्वारा यह निर्देश दिया गया कि सभी संबंधित प्रखण्ड आपुर्ति पदाधिकारी CSC Registration हेतु सभी आवश्यक Document (Aadhaar No, Pan Card, Cancel Cheque, Pass Book केन्द्र का Geo Tag फोटाग्राफ) एक सप्ताह के अन्दर CSC Manager को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अद्योहस्ताक्षारी के द्वारा e-Merchant Manger को यह निर्देश दिया गया कि वैसे PDS Dealer जो प्रज्ञा केन्द्र संचालित करना चाहते हैं उनको प्रशिक्षण देकर परिक्षा में पास कराना सुनिश्चित करेंगे।

   (अनुपालनार्थ– **DSO, CSC Managers, e-Merchant Manger)**

5. **Aadhaar PEC-** जिले के सभी प्रखण्डों में आधार पंजीकरण सेन्टर के समिक्षा के क्रम में DPO-UID के द्वारा बताया गया कि सभी प्रखण्ड को सभी तरह के सामग्री उपलब्ध करा दि गई है जिसमें उपलब्ध करायी गई Laptop में Window-10 होने के कारण Aadhaar Software Install नहीं हो पा रहा है जिसमें सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, एवं कम्पयुटर ऑपरेटर को सूचित किया गया कि वह Window-10 कि जगह Window-7 Install करके आयें जिसमें Aadhaar Software Install किया जा सके। इस क्रम में अद्योहस्ताक्षारी के द्वारा DPO-UID को निर्देश दिया कि बुधवार 14/06/2017 तक सभी प्रखण्ड के Laptop में Aadhaar Software Install कर दिया जाय।

   अनुपालनार्थः–**DPO-UID**

6. **Aadhaar Seeding:-** Aadhaar Seeding एवं A/c Opening के समिक्षा के क्रम में e-Bank Manger द्वारा अब तक किये गये Aadhaar Seeding एवं A/c Opening के बारे में समिक्षा कि गई जिसमें बैंक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मात्र 137 खाता खोला गया जिसमें उपायुक्त महोदय ने असंतोष व्यक्त किया। अद्योहस्ताक्षारी के द्वारा e-Bank Manager को यह निर्देश दिया गया कि Aadhaar Seeding एवं A/c Opening का Report प्रतिदिन अद्योहस्ताक्षारी देना आवश्यक है। e-Bank Manager को निर्देश दिया गया कि LDM से Report Compile कर प्रतिदिन उपायुक्त महोदय प0 सिहंभूम को प्रतिवेदित करेंगे।

अनुपालनार्थः—**e-Bank Manager**

7. **PDS Dealer-BC:-** सभी PDS Dealer को BC बनाने हेतु सभी PDS Dealer से BC का Form संबंधी क्षेत्र के Service Area Providing Bank का Form LDM से लेकर भरवाना सुनिश्चित करेंगे। ताकि सभी VLE -PDS Dealer को BC बनाया जा सके।

अनुपालनार्थः—LDM

8. **Bhim App:-** अद्योहस्ताक्षारी के द्वारा e-Block Manager को यह निर्देश दिया गया कि वह प्रतिदिन 200 व्यक्तियों को Bhim App का Training देना सुनिश्चित करेंगे। और उनका Record Excel Sheet में तैयार कर DeGS को प्रतिवेदित करेंगे।

अनुपालनार्थः— **e-Block Manager**

9. **Tablet:-** अद्योहस्ताक्षारी के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सभी e-Block Manager, CSC Manager, e-Bank Manager & e-Merchant Manager, e-Network Manager को जिला कि ओर से एक Tablet दिया जाय जिससे कि कार्य में तेजी लाई जा सके।

अनुपालनार्थः— **नोडन पदाधिकारी (DeGS), EDM**

10. **Absentee:-** अद्योहस्ताक्षारी के द्वारा यह निर्देश दिया गया कि सभी e-Block Manager की Absentee BDO एवं e-Bank Manager & e-Merchant Manager का Absentee जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी (NIC) तथा नोडन पदाधिकारी (DeGS) के हस्ताक्षर के द्वारा भेजी जाय।

अनुपालनार्थः— **e-Block,** e-Bank & e-Merchant Manager

11. **Inventory of DeGS:-** अद्योहस्ताक्षारी के द्वारा यह निर्देश दिया गया कि DeGS के कार्यालय सामग्री के लिए Inventory जैसे कम्पयुटर, प्रिन्टर, चेयर, टेबुल आदि कि सूची बनाकर अद्योहस्ताक्षारी को प्रस्तुत किया जाय।

अनुपालनार्थः—**नोडन पदाधिकारी (DeGS), EDM**

अन्त में धन्यवाद ज्ञापांक के साथ बैठक कि कारवाई समाप्त की गयी।

12/6/17

उपायुक्त—सह—अध्यक्ष
जिला ई.—गवर्नेस सोसाईटी
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

ज्ञापांक 229/DeGS/17 दिनांक 12/06/17

प्रतितिलिपिः—सभी संबंधित पदा/कर्मियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

12/6/17

उपायुक्त—सह—अध्यक्ष
जिला ई.—गवर्नेस सोसाईटी
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।